



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 281]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 8, 2016/आषाढ़ 17, 1938

No. 281]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 8, 2016/ASADHA 17, 1938

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 17 जून, 2016

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016

सं. सेबी/ एल. ए. डी. - एन.आर. ओ./ जी. एन./ 2016-17/ 008.— भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 31 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11, धारा 11क की उप-धारा (2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में, विनियम 43 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"लाभांश वितरण नीति

43क. (1) बाजार पूँजीकरण (जिसकी गणना प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक की स्थिति के अनुसार की जाती है) के आधार पर निर्धारित शीर्ष पाँच सौ सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटियाँ लाभांश वितरण नीति बनाएँगी, जिसे उनकी वार्षिक रिपोर्टों में तथा उनके वेबसाइटों पर प्रकट किया जाएगा।

(2) लाभांश वितरण नीति में निम्नलिखित मानदंड शामिल होंगे:

- (क) वे परिस्थितियाँ, जिनके अधीन सूचीबद्ध एंटिटियों के शेयरधारकों को लाभांश मिलना प्रत्याशित हो या लाभांश मिलना प्रत्याशित न हो;
- (ख) वे वित्तीय मानदंड, जिन पर लाभांश घोषित करते समय विचार किया जाएगा;
- (ग) वे आंतरिक और बाह्य कारक, जिन पर लाभांश की घोषणा हेतु विचार किया जाएगा;
- (घ) वह नीति कि प्रतिधारित आमदनी (रिटेन्ड अर्निंग्स) का उपयोग कैसे किया जाएगा; और
- (ङ) वे मानदंड, जो विभिन्न वर्गों के शेयरों के संबंध में अपनाए जाएँगे:

परंतु यह कि यदि सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी खंड (क) से खंड (ङ) के अतिरिक्त किन्हीं अन्य मानदंडों के आधार पर लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव करती हो अथवा ऐसे अतिरिक्त मानदंडों में या किसी मानदंड में दी हुई लाभांश वितरण नीति में परिवर्तन करने का प्रस्ताव करती हो, तो वह ऐसे परिवर्तनों को उनके तर्काधार सहित अपनी वार्षिक रिपोर्ट में तथा अपने वेबसाइट पर प्रकट करेगी।

(3) बाजार पूँजीकरण (मार्केट कैपिटलाइजेशन) के आधार पर निर्धारित शीर्ष पाँच सौ सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटियों से भिन्न सूचीबद्ध एंटिटियाँ अपनी वार्षिक रिपोर्टों में तथा अपने वेबसाइटों पर, स्वैच्छिक आधार पर, अपनी लाभांश वितरण नीतियाँ प्रकट कर सकेंगी।"

यू.के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./162]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/013, 2 सितम्बर, 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 तत्पश्चात् :
 - (क) 22 दिसम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/027, द्वारा।
 - (ख) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/001, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th June, 2016

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2016

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/008.— In exercise of the powers conferred by section 11, sub section (2) of section 11A and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2016.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, after Regulation 43 the following regulation shall be inserted, namely:-

“Dividend Distribution Policy.

43A. (1) The top five hundred listed entities based on market capitalization (calculated as on March 31 of every financial year) shall formulate a dividend distribution policy which shall be disclosed in their annual reports and on their websites.

(2) The dividend distribution policy shall include the following parameters:

- (a) the circumstances under which the shareholders of the listed entities may or may not expect dividend;
- (b) the financial parameters that shall be considered while declaring dividend;
- (c) internal and external factors that shall be considered for declaration of dividend;
- (d) policy as to how the retained earnings shall be utilized; and
- (e) parameters that shall be adopted with regard to various classes of shares:

Provided that if the listed entity proposes to declare dividend on the basis of parameters in addition to clauses (a) to (e) or proposes to change such additional parameters or the dividend distribution policy contained in any of the parameters, it shall disclose such changes along with the rationale for the same in its annual report and on its website.

(3) The listed entities other than top five hundred listed entities based on market capitalization may disclose their dividend distribution policies on a voluntary basis in their annual reports and on their websites.”

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT III/4/Exty./162]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 2nd September, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/013.
2. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, were subsequently amended on:
 - (a) December 22, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2015 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/27.
 - (b) May 25, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2016-17/001.